



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खैरवाडा

जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:-ग्रामीण सेवा शिविर-2025

—: आदेश :-

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-बन्जारिया..... व
भू - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त-खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंघा के आधार
पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. परबीला

..... पटवार मण्डल-बन्जारिया तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की
जमाबन्दी संवत-2075-2078..... में खाता संख्या-113..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित
रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
परबीला	113	the bank of rajasthan Li	icici

पीठासीन अधिकारी
राजस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रमेश मुहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

दिनांक :-18.09.2025

कमांक :- सेवा शिविर-2025 / 48 / 2025 / 1500-1528

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
 2. प्रार्थी श्री
 3. रक्षित पत्रावली।
- को सूचनाार्थ।

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

(Handwritten signature)